(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान अब तक राजस्थान में किसी भी विकास केन्द्र को केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की गई है। विकास केन्द्र के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा की गई वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाती है।

(घ) और (ङ) विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत जिला अजमेर को कोई विकास केन्द्र आवंटित नहीं किया गया है। पहले ही घोषित 71 विकास केन्द्रों के अतिरिक्त और अधिक केन्द्रों की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2387. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश में कुल कितने गांवों में कितने लोगों को ग्रामोद्योगों में लगाकर उत्पादन कराया जा रहा है;

(ख) ग्राम उद्योगों की संख्या तथा पंजीकृत संस्थाओं की कुल संख्या क्या है;

(ग) राजस्थान में कुल कितने गांवों में खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में उत्पादन हो रहा है व उनमें कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अजमेर जिले में कार्यरत ग्रामोद्योगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राजस्थान में ग्रामोद्योगों के विस्तार से संबंधित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग में संलग्न गाँवों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख है और खादी तथा ग्रामोद्योगों के लाभकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से कार्यरत व्यक्तियों की संख्या लगभग 56.50 लाख है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में 116 ग्रामोद्योग हैं। इनको मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है:—

1. खनिज आधारित उद्योग
2. वन आधारित उद्योग
3. कृषि तथा खाद्य आधारित उद्योग
4. पोलीमर तथा रसायन आधारित उद्योग
5. इंजीनियरिंग तथा अपरंपरागत ऊर्जा
6. वस्त्र (खादी से भिन्न)
7. सेवा उद्योग

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में सीधे पंजीकृत संस्थानों की संख्या 4869 है।

(ग) राजस्थान के 17000 गांवों में खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। अजमेर जिलें में 15 विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 4166 ग्रामोद्योग एकक कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम और खंड विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में 4 जिलों और 7 खंडों का चयन किया है। इसने जिला विशेष रोजगार कार्यक्रमों की मानिटरिंग के लिए दौसा जिले में एक परियोजना कार्यालय भी खोल रखा है।

Foreign investment in Rajasthan

2388. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the target fixed by Government for foreign investment in the State of Rajasthan during the last five years under the new liberalised policy alongwith achievement;

(b) what is the target for the same for the coming five years; and

(c) what steps are being taken to achieve the target?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) A total number of 162 proposals in different sectors envisaging foreign direct investment amounting to Rs. 2246.28 crore in the State of Rajasthan, have been approved during Aug. '91 to Sept. '98.

(b) and (c) Inflows of foreign investment are contingent on various factors which, *inter-alia*, include domestic economic conditions, policy regime governing foreign investments world economic trends and the strategies of global investors. While no specific target is fixed for foreign investment, Government is making continuous efforts to provide an environment to attract inflows of foreign investment into the country. Some of the measures introduced to at-

tract foreign investment are as follows:—

(i) Enlargement of list of high priority industries under automatic route, covering 33 categories/group of industries;

(ii) Foreign direct investment upto 100 percent allowed in most sectors;

(iii) Full repatriability of investment and returns; and

(iv) Simplification of procedures relating to receipt of inward remittances and allotment of shares.

Anomaly in settlement of gratuity

2389. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Gvernment are aware that certain private sector companies are indulging in violation of rules governing settlement of gratuity dues of their employees;

(b) whether Government are aware that East India Hotels Ltd., 7, Sham Nath Marg, Delhi is indulging in dual policy regarding gratuity settlement, wherein it indulges in discrimination between the executives and the workers;

(c) if so, the action taken/proposed against the company so that it brings uniformity in its laws; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to the Government of NCT of Delhi, no claim for gratuity from any employee of M/s. East India Hotels Ltd., Delhi has been received during the previous year by the Controlling Authority. The Payment of Gratuity Act, 1972 makes no discrimination between the executives and the workers. All the employees employed in coverable establishments including those employed M/s. East India Hotels irrespective of their wages are entitled to gratuity as provided under the Act. As such, the question of taking any action for bringing uniformity in the law does not arise.

बाल श्रमिकों का उत्पीड़न

2390. **श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रमिकों के संबंध में वर्तमान सरकारी कानूनों को नजरंदाज करते हुए उनके नियोजकों द्वारा उनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की घटनाएं अभी भी हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन नियोजकों, जो बंधुआ बाल श्रमिकों के उत्पीड़न में लगे हैं, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो कितने नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन/छः माह के दौरान सरकार ने कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है अथवा उन्हें उनके परिजनों को सौंपा है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में शामिल कतिपय व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की दशाओं को उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देख रेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था है। सरकार का प्रयास बाल श्रम और अन्य संबंधित कानूनों को इस रूप में कार्यान्वित करना है जिससे बच्चों का शोषण रोका जा सके।

बंधित श्रम पद्धति, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत संज्ञेय दंडनीय अपराध है। बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पहचान करने या पुनर्वास के लिए आयु या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। बंधित बच्चों सहित बंधित श्रमिकों की पहचान की प्रक्रिया और पुनर्वास की रीति बताते हुए दिशा निर्देश जारी करने के लिए श्रम मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों को